न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकद्दमा नम्बर 35/2016

उनवान प्रकरण

अवसेतू पुत्र लाखनसिंह नावालिग उम्र करीव 10 वर्ष वरसरस्ती माता पप्पी पत्नी लाखनसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम माकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–श्रीमान तहसीलदार साहव तहसील सैपऊ
2–डम्बरसिंह पुत्र बुद्वा । समस्त जातिगण ठाकुर
3–बिटटो वेवा मेधा । समस्त निवासीगण ग्राम मांकरा
4–जोगेन्द्र उर्फ मुन्ना पुत्र मेघा । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5–राजू पुत्र मेधा ।
6–श्यामवीरसिंह पुत्र परमानंद कौम ठाकुर निवासी 2/37 हाउसिंह वोर्ड कौलोनी बाडी रोड धौलपुर

.....रेस्पोडेण्टस

अपील वखिलाफ आदेश तहसीलदार सैपऊ
दिनांक 07.04.2016 बावत बठवारा

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 96 जा0दी0

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामअवतार गौड एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से :– श्री गोपालनरायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट संख्या–3 लगा05 की ओर से:–श्री नीरज काडोर एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट संख्या–6 की ओर से :– श्री हरवीरसिंह एडवोकेट

निर्णय **दिनांक : 06.07.2018**

उक्त प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने व अपील में पक्षकार बनने की अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त अपील का निर्णय करने से पूर्व अपील में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 96 जा0दी0 का सर्व प्रथम निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

किया है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2016 बावत वटवारा प्रार्थी नावालिग के हितों के विपरीत पारित किया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात के बटवारे में प्रार्थी/अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि विवादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का हित व स्वत्व निहित है। नावालिग प्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को पक्षकार बनने व उक्त उनवानी अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है यदि प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी तो प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश तारीखी 07.04.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने व अपील में पक्षकार बनने की अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

रेस्पोडेन्ट 1लगा0 5 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जबाव पेश नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–6 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उसने कथन किया कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र एक नाबालिग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं है। नाबालिग स्वंय कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है। प्रार्थना पत्र में नाबालिग अवसेतु को माता की सरपरस्ती में होना बताया है लेकिन प्रार्थना पत्र मॉ के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है प्रार्थना पत्र में जरिये सरपरस्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना नही लिखा है समस्त भाषा नाबालिग के द्वारा प्रस्तुत करने की लिखी गई है। नाबालिग के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की धारा 96 जा0दी0 के तहत अनुमति मांगी गई है जो गलत है एक नाबालिग ना तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है ना ही कानूनी कार्यवाही कर सकता है। अगर नावालिग के हितो के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करनी है तो जरिये वादमित्र या जरिये सरपरस्त की जा सकती है जो इस प्रार्थना पत्र में नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र में विवाद ग्रस्त आराजी का विवरण नहीं दिया गया है कौनसी आराजी थी उसका कितना रकवा था उसमें नाबालिग का क्या हित था उसको पक्षकार क्यों बनाया जाता है उसके हितो पर किस प्रकार विपरीत प्रभाव पडा है कोई तथ्य नही लिखा है। बटवारे के निर्णय के समय राजस्व रिकार्ड में जिस व्यक्ति का नाम है वह बटवारे में शामिल हो सकता है जिसका नाम नहीं है उसे बटवारे में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अगर किसी आराजी में स्वत्व व हित निहित है तो वह अपने स्वत्वों की घोषणा कराने को स्वत्रंत है उसके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान दिया गया हैं जिसके तहत प्रार्थी अवसेतु स्वत्व घोषणा का दावा डम्बरसिंह एवं अन्य के विरूद्व न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ में उनवानी अवसेतु बनाम डम्बरसिंह व अन्य के नाम से प्रस्तुत कर चुका है जो विचाराधीन है बिना स्वत्व घोषणा के कराये प्रार्थी को बटवारे के निर्णय दिनांक 7.4.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। विशेष कथन में अंकित किया है कि निर्णय में विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार बिटटो वेवा मेघा व जोगेन्द्र उर्फ मुन्ना, राजू पुत्रगण मेघा हिस्सा 1/2 डम्बरसिंह पुत्र बुद्वा हिस्सा 1/4 श्यामवीर सिंह पुत्र परमानन्द हिस्सा 1/4 के दर्ज रिकार्ड थे समस्त खातेदार ने अपनी सहमति से आपस में बटवारा करके पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव तैयार कराकर तहसीलदार सैपऊ से बटवारा कराया है इस प्रकार तहसीलदार

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

ने समस्त पक्षकार की सहमति के आधार पर बटवारे का निर्णय किया है। इस प्रकार निर्णय दिनांक 7.4.2016 का तहसीलदार सैपऊ का निर्णय कन्सेण्ट डिक्री की तारीफ में आता है जिसकी अपील नहीं की जा सकती इसके बावजूद प्रार्थी अवसेतु अपना अलग केस बताकर आया है कन्सेण्ट डिक्री के विरूद्व अलग केस तैयार कर अपील नहीं का जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश दिनांक 21.8.2006 के प्रभावी रहते हुये तहसीलदार सैपऊ द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 7.4.2016 जारी किया गया जो कानूनन गलत है। विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित हो रहे है और इन्होने बाला–बाला बटवारा कर लिया है। डम्बरसिंह अपीलान्ट के दादा है उनके हिस्से की आराजी में हमारा हिस्सा है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 1993 पेज 44–ए एवं पेज 232ए तथा आर एल डब्लू 2008 पेज 1989ए की नजीरें पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी का वटवारा नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई लिखित व मौखिक सहमति नहीं दी। जैसे ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 7.4.16 की जानकारी हुई तो अप्रार्थी ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420,467,468 एवं 120(बी)भारतीय दण्ड संहिता के तहत माननीय न्यायालय ए सी जे एम में प्रस्तुत कर दिया है। अप्रार्थी संख्या–2 डम्बरसिंह की ओर काउन्टर अपील पेश की है।

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–6 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र की जो भाषा है उसके मुताविक नाबालिग की ओर से ही प्रस्तुत किया गया है। सरपरस्ती की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी अवसेतु जो अप्रार्थी संख्या–2 डम्बर का पोता है ने बंटवारे के निर्णय दिनांक 7.4.16 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के लिये धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति चाही है। धारा 96 सीपीसी के तहत अपील करने की अनुमति उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो व्यक्ति अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो उसके अधिकारों पर आदेश का विपरीत प्रभाव पड रहा हो तभी वह व्यक्ति अपील करने के लिये एग्रीड पर्सन माना जा सकता है अगर किसी व्यक्ति का अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है तो उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी अवसेतु का हित मात्र डम्बरसिंह के हिस्से में निहित, डम्बरसिंह के हिस्से का बटवारा होकर खाता कायम हो गया है। अवसेतु मात्र डम्बरसिंह के विरूद्व अपने हितों के लिये स्वत्व घोषणा का दावा कर सकता है वैसे मुताविक कानून अवसेतु का डम्बरसिंह के हिस्से में भी डम्बरसिंह के जीवनकाल तक कोई हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी संख्या–6 श्यामवीरसिंह से अवसेतु का किसी भी प्रकार का कोई संबध सरोकार

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

नहीं है। श्यामवीरसिंह के हिस्से में अवसेतु का कोई स्वत्व या हित निहित नहीं है। अपीलाधीन आदेश बंटवारे का आदेश है बंटवारा मात्र रिकार्डेड सहखातेदारों के मध्य ही होता है जो रिकार्डेड खातेदार नहीं है उन्हें बटवारे के वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सक़ता। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में ऑर्डर–32 रूल–1 सीपीसी, आर आर टी 2017(1)पेज 353 एवं 547, आर आर टी 2016–17(सुप्रिम कोर्ट) पेज 675, आर आर टी 2017(2)पेज 944, आर आर टी 2016 (2) पेज 1309, आर आर टी 2017(1)पेज 613, आर बी जे 2016 पेज 319 व 378 नजीरें पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2016 बावत वटवारा प्रार्थी नावालिग के हितों के विपरीत पारित किया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात के बटवारे में प्रार्थी/अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि विवादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का हित व स्वत्व निहित है। नावालिग प्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को पक्षकार बनने व उक्त उनवानी अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 96 जा0दी0 प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश तारीखी 07.04.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किया है कि विवादित आराजी पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश दिनांक 21.8.2006 के प्रभावी रहते हुये तहसीलदार सैपऊ द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 7.4.2016 जारी किया गया जो कानूनन गलत है। विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित हो रहे है और इन्होने बाला–बाला बटवारा कर लिया है। डम्बरसिंह अपीलान्ट के दादा है उनके हिस्से की आराजी में हमारा हिस्सा है।

हमने प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र एवं अपील रिर्काड का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में विवाद ग्रस्त आराजी का विवरण नहीं दिया गया है कौनसी आराजी थी उसका कितना रकवा था उसमें नाबालिग का क्या हित था उसको पक्षकार क्यों बनाया जाता उसके हितो पर किस प्रकार विपरीत प्रभाव पडा है कोई तथ्य नही लिखा है। प्रार्थना पत्र की जो भाषा है उसके मुताविक नावालिग की ओर से ही प्रस्तुत किया गया है। सरपरस्ती की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी अबसेतु जो अप्रार्थी संख्या–2 डम्बर का पोता है ने बंटवारे के निर्णय दिनांक 7.4.16 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के लिये धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति चाही है। धारा 96 सीपीसी के तहत अपील करने की अनुमति उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो व्यक्ति अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो उसके अधिकारों पर आदेश का विपरीत प्रभाव पड रहा हो तभी वह व्यक्ति अपील करने के लिये एग्रीड पर्सन माना जा सकता है अगर किसी व्यक्ति का अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है तो उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी अवसेतु का हित मात्र

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

डम्बरसिंह के हिस्से में निहित है। डम्बरसिंह के हिस्से का बटवारा होकर खाता कायम हो गया है। अवसेतु मात्र डम्बरसिंह के विरूद्व अपने हितों के लिये स्वत्व घोषणा का दावा करने के लिये स्वत्रंत है। अप्रार्थी संख्या–6 श्यामवीरसिंह से अवसेतु का किसी भी प्रकार का कोई संबध सरोकार नहीं है। श्यामवीरसिंह के हिस्से में अवसेतु का कोई स्वत्व या हित निहित नहीं है। अपीलाधीन आदेश बंटवारे का आदेश है बंटवारा मात्र रिकार्डेड सहखातेदारों के मध्य ही होता है जो रिकार्डेड खातेदार नहीं है उन्हें बटवारे के वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा संकता। **जैसा कि आर.आर.टी 2016–17(सुफ्रिम पेज 675 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने कमलादेबी बनाम टूढाराम एवं अन्य में यह मत व्यक्त किया है कि विभाजन के वादपत्र में अगर पैत्रिक सम्पत्ति बताकर अपने को आवश्यक पक्षकार मानते हुये कोई व्यक्ति पक्षकार बनने के लिये कहता है तो उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि वह सहखातेदार नहीं है। पैत्रिक सम्पत्ति में अपने अधिकारों की धोषणा कराने के लिये वह स्वतंत्र है।** बिना स्वत्व घोषणा के कराये प्रार्थी को बटवारे के निर्णय दिनांक 7.4.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। जहॉ तक प्रार्थी/अपीलान्ट का यह कथन है कि विवादित आराजी पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश दिनांक 21.8.2006 के प्रभावी रहते हुये तहसीलदार सैपऊ द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 7.4.2016 जारी किया गया है तो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा डम्बरसिंह द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 30.10.17 को खारिज की जा चुकी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रा0 पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रा0पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर